कार्यालय नगर पंचायत नरौरा जनपद बुलन्दशहर

पत्रांकः 234/न0प0नरौरा/2022–23 दिनांकः–31.05.2022

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पंचायत नरौरा में मोटर स्टेन्ड पार्किंग शुल्क ठेका हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट की बेवसाईट www.etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से सम्बन्धित सूचना जनपद बुलन्दशहर की बैवसाईट www.bulandshahr.nic.in एवं www.npnarora.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत सूचना एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत नरौरा से प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क ऑनलाईन अलग–अलग जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त जमा की पुष्टि हेतु ट्रांजेक्शन स्लिप/प्रमाण पत्र की कलर स्कैन कॉपी अनिवार्य रुप से ई–निविदा के साथ अपलोड की जायेगी। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा को अवैध माना जायेगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

ı‌ाोबेवसाइट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि व समय	01.06.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
ई–निविदा डाउनलोड /अपलोड की प्रारम्भ तिथि व समय ।	01.06.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
ई–निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय ।	10.06.2022 समय प्रातः 10:00 बजे
कार्यो की निविदा स्केन आर्नेस्टमनी एंव निविदा शुल्क की मूल्य की प्रति कार्यालय नगर पंचायत में जमा करने की अन्तिम तिथि /समय ।	10.06.2022 प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि /समय	10.06.2022 दोपहर 02:00 बजे

क0स0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	निविदा पर 18% GST	कार्य/अपूर्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
01	नगर पंचायत नरौरा में 01 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक मोटर स्टेन्ड पार्किंग शुल्क ठेका।	778900.00	16000	800	144	10 माह

–: निर्माण कार्य नियम व शर्ते :–

1. ई– निविदादाता के पास निर्माण कार्य की ठेकेदारी करने हेतु आवश्यक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप से होना अनिवार्य होगा।
2. शासन के पत्र सं0–538/78–2018–97 आई0टी0/2017 दिनांक 21.08.2018 के अनुसार निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि के भुगतान हेतु आनलाईन प्रकिया अपनाई जायेगी। जिसकी जमा रसीद अपलोड करानी होगी। निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि नवीन एंव पंजीकरण शुल्क जमा करने का नगर पंचायत नरौरा का खाता संख्या–**2702000100110420**–PUNB0270200 है।
3. शासन के पत्र संख्या 3890/नौ–5–19–14सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुपालन में जिस ठेकेदार या कम्पनी का कार्य स्वीकृत होता है और नगर पंचायत नरौरा में निर्माण कार्य करने हेतु पंजीकृत नही होता है तो उसे कार्यादेश जारी होने के पूर्व रू0 20000+ रू0500 का डिमांड डाफ्ट अथवा ई–बैकिंग के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार द्वितीय वरियता प्राप्त ई–निविदादाता को अवसर प्रदान किया जायेगा।
4. ई–निविदादाता को सभी वॉछित प्रमाण पत्रों की जिसमें निविदा शुल्क और धरोहर धनराशि की जमा रसीद, 100रू0 स्टाम्प की मूल प्रति एंव अन्य अभिलेखों –हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0, लेबर, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन तीन वर्ष मय बैलेन्स शीट एंव आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि नगर पंचायत में दिनांक 10.06.2022 को दोपहर 02.00 बजे तक नगर पंचायत में रखे निविदा बाक्स में बन्द लिफाफे में रखकर डालना होगा। उक्त पत्रावलियों की हार्ड कापी प्राप्त न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. 15 प्रतिशत से न्युन (बिलो) की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

6. ई– निविदादाता की निविदा बिलो पाये जाने पर नियमनुसार परफार्मेस गारन्टी की धनराशि जो नगर पंचायत निर्धारित करेगी अलग से ई– बैकिंग के माध्यम से जमा करनी होगी तथा 5 वर्ष की परफार्मेस गारन्टी अर्थात कार्य सन्तोष जनक पूर्ण होने के उपरान्त वापस की जायेगी।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत नरौरा को होगा।
9. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्रधिकार बुलन्दशहर होगा।
10. किसी भी निविदादाता की फाइनेन्शियल बिड तभी खोली जायेगी जव वह निविदा की टेक्नीकल बिड की सभी शर्ते ऑनलाईन पूरी करेगा।
11. नगर पंचायत नरौरा द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि के आधार पर भुगतान किया जाना संभव होगा।

(अब्बास हसन नकवी)
उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नरौरा
जनपद बुलन्दशहर।

(विवेक वशिष्ठ)
अध्यक्ष
नगर पंचायत नरौरा
जनपद बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि :–

1.जिलाधिकारी महोदया बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ ।
2.जिला सूचना अधिकारी ,एन0आई0सी0 कार्यालय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ ।
3.उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई की सेवा में सूचनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड नगर पंचायत नरौरा में चस्पा हेतू ।
5. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतू ।

उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत नरौरा
जिला बुलन्दशहर।